

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एम-129/2022- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० वेद प्रकाश गुप्ता, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हनुमाननगर, दरभंगा द्वारा पूर्व में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर NPS अंतर्गत की गयी सेवा (दिनांक-17.05.2016 से 03.08.2020 तक) को वर्तमान सेवा (विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी) के साथ परिगणित करने की स्वीकृति दी जाती है।

3. प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापक-2/एम-129/2022-

1426(2)

पटना, दिनांक 24/6 /2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सचिव, स्वास्थ्य के आन्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हनुमाननगर दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/डा० वेद प्रकाश गुप्ता, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हनुमाननगर, दरभंगा/प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: डी०पी०एम०यू० लीड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

W. K. 23/6/26
सरकार के उप सचिव।